भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3091

उत्तर देने की तारीख : 07.08.2025

एमएसएमई को सुदृढ़ करने हेतु केंद्रीय योजनाएं

3091. थिरु दयानिधि मारन:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु में बड़े एमएसएमई पारितंत्र को और सुदृढ़ करने के लिए कोई लक्षित केंद्रीय योजना चलाई जा रही है या प्रोत्साहन दिया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह देखते हुए कि तमिलनाडु के 70 प्रतिशत एमएसएमई सेवा क्षेत्र में हैं और राज्य में राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक लगभग 55 प्रतिशत शहरी कार्यबल सेवाओं में लगा हुआ है, सरकार द्वारा व्यापार, मोटर वाहन मरम्मत, शिक्षा, आईसीटी और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में सेवा-उन्मुख एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए कोई विशिष्ट नीतिगत हस्तक्षेप की योजना बनाई जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु के टियर-2 और टियर-3 शहरों, जहां अनौपचारिक एमएसएमई का एक बड़ा हिस्सा मौजूद है, में एमएसएमई के लिए विशेष रूप से तैयार की गई कोई केंद्र प्रायोजित ऋण सुविधा, डिजिटलीकरण, बाजार संपर्क, कौशल या प्रौद्योगिकी उन्नयन पहल की व्यवस्था की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने विकास में आने वाली बाधाओं को समझने के लिए तमिलनाडु स्थित एमएसएमई एसोसिएशनों के साथ कोई अध्ययन या विचार-विमर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : केंद्र सरकार, तमिलनाडु राज्य सहित वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन या किसी सेवा या सेवाओं के प्रदान करने में लगे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के प्रोत्साहन, विकास और सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, पीएम विश्वकर्मा योजना, उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम, एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में संवर्धन और गतिवर्धन, एमएसएमई चैंपियंस योजना आदि शामिल हैं। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित ये योजनाएं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं और इनके लिए धन राज्य-वार आवंटित नहीं किया जाता है।

दिनांक 31.07.2025 तक, उद्यम पोर्टल पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित 6,62,95,529 एमएसएमई पंजीकृत हैं, जिनमें 28,73,62,479 व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। इनमें से 53,44,057 एमएसएमई तमिलनाडु में पंजीकृत हैं, जिनमें 2,78,56,442 व्यक्ति रोजगार पर हैं। इनमें से 23,62,573 उद्यम सेवा क्षेत्र, 16,28,806 उद्यम व्यापार और 13,52,678 उद्यम विनिर्माण क्षेत्र में हैं।

(ग) : कुछ प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने संयुक्त रूप से वर्ष 2000 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई) की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य सदस्य ऋणदाता संस्थानों द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति और तृतीय पक्ष गारंटी के दिए गए ऋणों के लिए ऋण गारंटी प्रदान करना है। सीजीटीएमएसई, एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) का क्रियान्वयन करता है।

तमिलनाडु में सीजीएस के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में दी गई ऋण गारंटी का विवरण निम्नानुसार है:

सीजीएस - अनुमोदित गारंटी - तमिलनाडु		
वित्त वर्ष	**अनुमोदित गारंटियों की संख्या**	**अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)**
2022-23	61,883	7,114
2023-24	1,13,815	15,061
2024-25	1,79,817	21,447
2025-26 (दिनांक 31.07.2025 तक)	36,617	8,301

(ii) डिजिटल साक्षरता और ई-कॉमर्स परिचालन पर प्रशिक्षण, एमएसएमई व्यापार सक्षमता और विपणन (एमएसएमई-टीम) जैसी पहलों में अंतर्निहित है, जो एमएसएमई को ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर लाने और चरण II और III में शामिल शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों सहित विभिन्न स्थानों पर उनकी ई-कॉमर्स यात्रा में सहायता करने पर केंद्रित है।

(iii) खरीद एवं विपणन सहायता (पीएमएस) योजना सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए लाभ प्रदान करती है।

तमिलनाडु में पीएमएस योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या:

क्र. सं.	वित्त वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
1.	2022-23	635
2.	2023-24	1810
3.	2024-25	2170
4.	2025-26(दिनांक 1.8.2025 तक की स्थिति के अनुसार)	282

पिछले दो वर्षों के दौरान आयोजित घरेलू व्यापार मेलों की संख्या:

क्र. सं.	शहर का नाम	आयोजित घरेलू व्यापार मेलों की संख्या	चरण I/II/III
1	चेन्नई	12	चरण I
2	कोयंबटूर	5	चरण II
3	मदुरै	1	चरण II

(iV) उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) के अंतर्गत, उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी), उद्यमिता-सह-कौशल विकास कार्यक्रम (ई-एसडीपी), प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी), उन्नत ई-एसडीपी और उन्नत एमडीपी पर कई कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। तमिलनाडु में कार्यक्रमों और लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है:

क्र. सं.	वित्त वर्ष	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1.	2022-23	235	9433
2.	2023-24	319	16445
3.	2024-25	363	17929

(V) देश में प्रौद्योगिकी केंद्रों/टूल रूमों का नेटवर्क एमएसएमई को उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास तथा व्यावसायिक परामर्श सेवाओं तक पहुँच प्रदान करके उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायता करता है। टूल रूम एवं तकनीकी संस्थान (टीआर एवं टीआई) योजना के अंतर्गत, केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई), चेन्नई, तमिलनाडु की स्थापना फुटवियर प्रौद्योगिकी सेवाएँ प्रदान करके, फुटवियर उद्योग के लिए साँचों और डाई की डिज़ाइनिंग एवं विकास करके और परामर्श सेवाएँ प्रदान करके फुटवियर उद्योग को सहयोग देने के उद्देश्य से की गई है। सीएफटीआई उद्योग के लिए उपयुक्त जनशक्ति तैयार करने हेतु युवाओं को कौशल प्रदान करता है और उद्योग की आवश्यकता के अनुसार उद्योग के मौजूदा कार्यबल को पुनः कौशल संबंधी प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

(घ) : एमएसएमई मंत्रालय तमिलनाडु राज्य सहित एमएसएमई की चिंताओं को समझकर विचार करने हेतु एमएसएमई हितधारकों/संघों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहता है। इन परामर्श के परिणाम ही एमएसएमई के लिए नीति निर्माण का आधार बनते हैं। एमएसएमई संघों से समय-समय पर विभिन्न मुद्दों पर परामर्श किया जाता है, जिसमें एमएसएमई के सामने आने वाली कठिनाइयाँ और विकास में आने वाली बाधाओं को समझना शामिल है।

****